(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 30 **नई दिल्ली**, 19 जनवरी, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, 100 टन वैगन धर्म कांटे के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/20/2009–वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ––––– आवेदक

आदेश

(दिसम्बर, 2009 के 30वें दिन पारित)

यह मामला एकेपी लेवल क्रासिंग के नजदीक "वाई" रेलवे ट्रैक मार्ग और कोयला बर्थ में संस्थापित 100 टन क्षमता के बिना पिट के चालित वैगन धर्म कांटे के लिए भारतोलन प्रभार के निर्धारण के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) ने पत्र दिनांक 9 मई 2009 द्वारा चालित वैगन धर्म कांटे के लिए रु0 36 प्रति 8 व्हीलर वैगन की दर से भारतोलन प्रभार के निर्धारण के लिए एक प्रस्ताव दाखिल किया था। पत्तन ने कोयला बर्थ में शुरू की जाने वाली दूसरे धर्म कांटे की सुविधा के लिए भी यही प्रस्तावित दर विस्तारित करने का प्रस्ताव किया है।

2.2. हालांकि, वीपीटी ने अपने प्रस्ताव में दावा किया है कि रु0 36 प्रति 8 व्हीलर वैगन की प्रस्तावित दर पर उपयोक्ता सर्वसम्मिति से सहमत थे, परंतु इसे संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता असोसिएशनों द्वारा सहमति के किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया गया था। इसके अलावा, पत्तन ने प्रस्तावित दर के समर्थन में कोई लागत गणना नहीं भेजी थी। वीपीटी द्वारा प्रस्ताव के साथ अग्रेषित संबद्ध उपयोक्ताओं के साथ हुई बैठक दिनांक 2 मार्च 2009 के कार्यवृत्त में उल्लेख किया गया है कि यह तदर्थ दर को अंतिम रूप देने के लिए है। तथापि, वीपीटी का प्रस्ताव तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दर के अनुमोदन के लिए नहीं था।

2.3. देखे गए अंतरालों के मद्देनजर, वीपीटी को सलाह दी गई थी कि प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करें और कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भी भेजें।

3. प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.17.1 से 2.17.4 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि जब सेवा/कार्गो विशेष के लिए अधिसूचित दरमान में प्रशुल्क उपलब्ध न हो तो पत्तन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। समान्तरतः, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ, वह तब तक यह दर तदर्थ आधार पर वसूल कर सकता है जब तक दर को अंतिम रूप से अधिसूचित नहीं किया जाता है, परंतु इस शर्त के अधीन कि तदर्थ दर तुलनीय सेवा/कार्गो के लिए मौजूदा अधिसूचित प्रशुल्कों के आधार पर विपथित अवश्य की जाएगी। वैगन धर्म कांटा ऐसी सेवा प्रतीत नहीं होती है जिसके लिए मांग अचानक से प्रकट हुई हो और पत्तन को तदर्थ दरें लागू करने की जरूरत पड़ी हो। तब भी जब यह सुविधा तैयार की जा रही थी, पत्तन उस समय प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता था ताकि इस प्राधिकरण द्वारा सामान्य परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए निर्धारित प्रशुल्क सुविधा शुरू किए जाने के समय उपलब्ध करवा दी जाती। इसलिए, वीपीटी को सुविधा शुरू किए जाने से पहले नियमित प्रस्ताव दाखिल नहीं करने के कारण स्पष्ट करने की सलाह दी गई थी।

4.1. वीपीटी ने पत्र दिनांक 8 जुलाई 2009 द्वारा प्रस्तावित दर के समर्थन में लागत गणना के साथ हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर अपना प्रतिसाद भेजा है। पत्तन ने उल्लेख किया है कि चालित धर्म कांटा संस्थापित करने का निर्णय पत्तन के रेल उपयोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लिया गया था। इसने निवेदन किया है कि वीपीटी के प्रमुख रेल उपयोक्ताओं में से एक अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने पत्तन से वीपीटी के विभिन्न स्थानों से प्रेषित वैगनों का भारतोलन करने के लिए धर्म कांटा लगाने का अनुरोध किया था। उसके अलावा, ईस्ट कॉस्ट रेलवे ने भी पत्तन से बाहर जाने वाले लदे हुए वैगनों के भारतोलन के लिए पत्तन परिसर में धर्म कांटा लगाने का अनुरोध किया था। उपर्युक्त के मद्देनजर, पत्तन ने पिट–रहित चालित धर्म कांटा लगाने का निर्णय लिया है। मांगी गई सूचना और वीपीटी के जवाब का सार नीचे दिया गया हैः–

क्र.सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	वीपीटी का जवाब
(i).	हालांकि, वीपीटी ने बताया है कि उपयोक्ताओं ने रु0 36 प्रति 8 व्हीलर वैगन की प्रस्तावित दर पर सर्वसम्मिति से सहमति दी है, परंतु इसे संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता असोसिएशनों से सहमति पत्तनों द्वारा समर्थित नहीं किया गया है। इसके अलावा, वीपीटी ने न तो प्रस्तावित दर पर पहुंचने के लिए कोई आधार दर्शाया है और न ही नई सेवा के लिए प्रस्तावित दर के समर्थन में कोई लागत गणना भेजी है।	वीपीटी के रेल उपयोक्ता 11 दिसम्बर 2008 और 2 मार्च 2009 को हुई बैठक में रु0 36 प्रति 8 व्हीलर वैगन अदा करने के लिए सहमत थे और दर केवल तदर्थ आधार पर निर्धारित की गई थी। फर्मों का उपस्थिति पत्रक जिन्होंने बैठक में भाग लिया था, भेजा गया है।
(ii).	इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में विस्तृत लागत गणना के साथ प्रस्तावित दर पर पहुंचने का आधार स्पष्ट करें।	पूंजी लागत, निर्धारित लागत और परिवर्तनीय लागत के आधार पर तैयार किया गया 100 टन क्षमता के पिट–रहित चालित धर्म कांटे के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु विस्तृत लागत विवरण

		भेजा गया है।
(iii).	भारतोलन कांटे की प्राप्ति के लिए पत्तन द्वारा प्रोद्भूत पूंजी लागत का दस्तावेजी समर्थन भेजें।	2 चालित धर्म कांटों के इरेक्शन, जांच और शुरू करने सहित रु0 22,41,594/– में प्राप्ति के लिए पत्तन द्वारा जारी किए गए कार्य आदेश की प्रति भेजी गई है।
(iv)	प्रस्तावित दर पर वर्ष 2009–10, 2010–11 और 2011–12 के लिए प्रोद्भूत की संभावना वाला अतिरिक्त राजस्व बताएं।	प्रस्तावित दर पर रु0 62 लाख प्रतिवर्ष का अतिरिक्त राजस्व अनुमानित किया गया है।
(v)	कोयला बर्थ में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित दूसरी सुविधा के लिए उक्त धर्म कांटे के लिए निर्धारित दर विस्तारित करने के अपने प्रस्ताव के संदर्भ में, स्पष्ट करें कि क्या दोनों स्थानों पर तैनात किए जाने के लिए प्रस्तावित भारतोलन उपस्कर समान आकार/क्षमता के हैं।	कोयला बर्थ में लगाए जाने के लिए प्रस्तावित भारतोलन उपस्कर सभी प्रकार से समान है।
(vi).	क्या यह सेवा वैकल्पिक अथवा अनिवार्य है और (नए धर्म कांटे को शुरू करने से पूर्व) पहले अनुसरित व्यवस्था और उसके लिए वसूल किए गए प्रभारों को स्पष्ट करते हुए टिप्पणी करें।	व्यावसायिक परिपत्र सं. 250जी/07 दिनांक 31 मई 2007 के अनुसार, यह अनिवार्य है कि सही माल भाड़े की वसूली और रेलवे राजस्व के रिसाव को रोकने के प्रयोजन के लिए विभिन्न गंतव्यों के लिए वीपीटी से लदे हुए रैकों के लिए आर.आर. जारी किया जाए। इसके अलावा, पत्तन से बाहर जाने वाले लदे हुए वैगनों के भारतोलन के लिए धर्म कांटा लगाने के लिए पत्तन से अनुरोध करने के लिए वीपीटी के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (एफएस) को संबोधित पत्र सं. सीसीएम/225/आईडब्ल्यूबी/टी. III दिनांक 13 जून 2008 की प्रति भेजी है।

4.2. प्रस्तावित दर के समर्थन में पत्तन द्वारा भेजा गया लागत विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	विवरण	राशि रुपयों में
(i).	पूंजी लागत (2 सं. 100 टन क्षमता के पिट–रहित चालित रेलवे वैगन धर्म कांटा)	2242600
(ii).	जीवनकाल वर्षों में	10
(iii).	निर्धारित लागत	
	(क). नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ 16 प्रतिशत की दर से	358816
	(ख). मूल्यह्रास	224260
	कुल निर्धारित लागत	583076
(iv).	परिवर्तनीय लागत	
	(ग). मरम्मत और नवीकरण – पूंजी लागत पर 3.33 प्रतिशत की दर से	74679
	(घ). स्टॉफ लागत	3459547
	(ड.). प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय – (घ) पर 32.06 प्रतिशत	1109131
	(च). बिजली लागत	543120
	(छ). वार्षिक अनुरक्षण लागत	300000
	(ज). वर्कशाप और भंडार व्यय लागत – (ग+च+छ) पर 10.53 प्रतिशत की दर से	96644
	कुल परिवर्तनीय लागत	5583120
(v).	कुल लागत	6166196
(vi).	प्रहस्तित किए जाने की संभावना वाले वैगनों की सं.	172280
(vii).	प्रभार प्रति वैगन (v/vi)	35.79
(viii).	प्रस्तावित प्रभार	रु0 36 प्रति वैगन

5. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, वीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 9 मई 2009 और 8 जुलाई 2009 संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया था। उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां वीपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं। वीपीटी ने उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं।

6.1. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 22 अक्तूबर 2009 को वीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने निवेदन रखे थे।

6.2. संयुक्त सुनवाई में यथा निर्णीत, वीपीटी को पिछले तीन वर्षों के वास्तविक आंकड़ों के आलोक में प्रशुल्क की गणना में सुविचारित प्रत्येक लागत तत्व/उपरिव्ययों का औचित्य बताने की सलाह दी गई थी। वीपीटी से यह स्थापित करने की सलाह भी दी गई थी कि गणना में सुविचारित प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय 100 टन क्षमता वाले रेलवे वैगन धर्म कांटे द्वारा ऑफर की गई सेवाओं के लिए संयोगवश संवर्धनात्मक लागत हैं। समान्तरतः, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को सलाह दी गई थी कि अपने विषय प्रस्ताव के समर्थन में पत्तन द्वारा प्रस्तुत किए गए लागत विवरण पर अपनी टिप्पणियां भेजें।

7.1. वीपीटी ने पत्रों दिनांक 17 नवम्बर 2009 और 19 नवम्बर 2009 द्वारा प्रतिसाद दिया है। गणना में सुविचारित लागत तत्वों (अर्थात प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय, कार्य और भंडार व्यय, आदि) के लिए औचित्य भेजते समय, पत्तन ने भी पत्र दिनांक 19 नवम्बर 2009 द्वारा भेजे गए संशोधित गणना पत्रक में कुछ लागत तत्वों के अनुमान संशोधित किए हैं। पत्तन द्वारा किए गए प्रमुख निवेदन और लागत गणना में पत्तन द्वारा किए गए संशोधन नीचे दिए गए हैंः–

(i). चूंकि धर्म कांटा दिसम्बर 2008 में संस्थापित किया गया है, इसलिए यह पिछले तीन वर्षों के लिए वास्तविक लागत नहीं भेज सकता।

(ii). प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय (एमजीए) और वर्कशाप तथाप्रचालन व्यय पर भंडारों का अनुमान लगाने के लिए अंगीकृत प्रतिशतों को सही ठहराने के लिए इसने वर्ष 2006–07 से 2008–09 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर विवरण भेजा है। तदनुसार, संशोधित गणना पत्रक में, प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय मूल प्रस्ताव में वीपीटी द्वारा सुविचारित स्टॉफ लागत के 32.06 प्रतिशत के विपरीत स्टॉफ लागत के 23.85 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है। इसी तरह, मरम्मत और नवीकरण, बिजली तथा वार्षिक अनुरक्षण करार लागत के 10.53 प्रतिशत पर पहले अनुमानित वर्कशाप और भंडार व्यय बिजली, मरम्मत और वार्षिक अनुरक्षण लागत के 9.69 प्रतिशत पर संशोधित और अनुमानित की गई है।

(iii). वार्षिक अनुरक्षण लागत के संबंध में, इसने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक धर्म कांटे के लिए वार्षिक अनुरक्षण करार (एएमसी) टेंडर करने के स्तर पर है। अनुमान मूल प्रस्ताव में रु0 3 लाख पर अनुमानित कुल व्यय के विपरीत संशोधित गणना में रु0 3 लाख प्रति धर्म कांटा (अर्थात कुल 6 लाख) पर संशोधित किए गए हैं।

(iv). चूंकि प्रस्तावित एएमसी में केवल प्रचालन और अनुरक्षण शामिल होगा, परन्तु पुर्जे और नवीकरण शामिल नहीं होंगे, इसलिए मरम्मत और अनुरक्षण लागत पूंजी लागत के 3.33 प्रतिशत पर अनुमानित की गई है।

(v). इसने पुष्टि की है कि धर्म कांटे चालू वर्ष में लगाए गए हैं जोकि उपयोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवाई गई एक अतिरिक्त सेवा है, और कि आर एंड एम, बिजली, एएमसी और वर्कशाप तथा भंडारों के लिए की गई लागत संवर्धनात्मक प्रकृति की है।

(vi). उपर्युक्त संशोधनों के आधार पर, धर्म कांटों के प्रचालन के लिए कुल लागत जमा निवेश पर 16 प्रतिशत की दर से प्रतिलाभ मूल प्रस्ताव में अनुमानित रु0 6166196/– के विपरीत रु0 6203528/– अनुमानित किया गया है। संशोधित अनुमानित राजस्व अपेक्षा के आधार पर, यह दर रु0 36.01 प्रति वैगन पर निर्धारित की गई है। पत्तन ने रु0 36 प्रति वैगन की सहमत दर का प्रस्ताव किया है।

7.2. सेल ने अपने पत्र दिनांक 16 नवम्बर 2009 द्वारा निवेदन किया है कि संयुक्त सुनवाई में इसने 0.65 पैसे प्रति मी0ट0 की दर निर्दिष्ट की थी जोकि ज्यादा है। इसने अनुरोध किया है कि पत्तन को यह सेवा निःशुल्क ऑफर करनी चाहिए अथवा यदि पत्तन इससे सहमत नहीं होता है तो 100 टन धर्म कांटे के उपयोग के लिए मामूली प्रभार वसूल करना चाहिए।

8. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों और संबद्व पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

9. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः–

(i). विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) ने स्पष्ट किया है कि इसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ईस्ट कॉस्ट रेलवे द्वारा किए गए अनुरोध पर वैगन धर्म कांटे की सुविधा शुरू की है और प्रस्तावित दर के लिए इस प्राधिकरण का अनुमोदन मांगा है।

(ii). वीपीटी ने बताया है कि वैगन धर्म कांटा दिसम्बर 2008 से सेवा में रखा गया है परंतु इसके उपयोग के लिए किराया प्रभारों की पृथक दर केवल मई, 2009 में दाखिल की गई थी। यह विदित है कि पत्तन ने परिपत्र दिनांक 5 फरवरी

2009 के आधार पर 12 फरवरी 2009 से रु0 36 प्रति 8 व्हीलर वैगन की प्रस्तावित दर कार्यान्वित की थी। तत्पश्चात, संबद्ध ट्रेड सदस्यों के साथ हुई बैठक दिनांक 2 मार्च 2009 के कार्यवृत्त में पत्तन ने प्रतिवेदित किया है कि संबद्ध उपयोक्ता प्रस्तावित दर से सहमत हैं।

प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.17.1 से 2.17.4 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि जब सेवा/कार्गो विशेष के लिए अधिसूचित दरमान में प्रशुल्क उपलब्ध नहीं हो तो पत्तन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। समान्तरतः, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ, वह यह दर तदर्थ आधार पर तब तक वसूल कर सकता है जब तक दर अंतिम रूप से अधिसूचित नहीं की जाती है परंतु इस शर्त के अधीन कि तदर्थ दर तुलनीय सेवा/कार्गो के लिए मौजूदा अधिसूचित प्रशुल्कों के आधार पर अवश्य विपथित की जाएगी और यह पत्तन और संबद्ध उपयोक्ताओं द्वारा परस्पर सहमति से होना चाहिए।

यह पत्तन की जानकारी में लाया गया है कि वैगन धर्म कांटा ऐसी सेवा प्रतीत नहीं होती है जिसके लिए पत्तन को अचानक तदर्थ दरें लागू करने की जरूरत पड़ी हो। जब यह सुविधा सृजित की जा रही थी तब ही पत्तन को समय से प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत कर देना चाहिए था ताकि इस प्राधिकरण द्वारा सामान्य परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए निर्धारित प्रशुल्क सुविधा के शुरू होने के समय उपलब्ध करवा दिया जाता। वीपीटी ने इस प्राधिकरण द्वारा विशेष अनुरोध किए जाने के बावजूद सुविधा शुरू किए जाने से पहले नियमित प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल नहीं करने के कारण स्पष्ट नहीं किए हैं। मौजूदा मामले में, पत्तन ने दर कार्यान्वित की है तब लगभग तीन महीने बाद प्रस्ताव दाखिल किया है जोकि प्रशुल्क दिशानिर्देशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार नहीं है। पत्तन न्यास को अपनी सेवा के लिए दर निर्धारित करने की शक्ति नहीं है सिवाय इसके कि विशेष शर्तों को पूरा करने के अधीन प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा उसे अन्यथा प्राधिकार दिया जाता है। अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब करने और अपनी ओर से अस्थायी प्रभार वसूल करने की वीपीटी की कार्रवाई ऐसा प्राधिकार दिए जाने की गुंजाइश से परे है और पत्तन को सलाह दी जाती है कि वह भविष्य में ऐसी कार्रवाई करने से बचें।

(iii). वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 17 नवम्बर 2009 द्वारा भेजी गई गणना में कुछ लागत तत्वों के अनुमान संशोधित किए गए हैं। तथापि, संशोधित दर मूल प्रस्ताव से ज्यादा भिन्न नहीं हैं। विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, इस मामले की कार्यवाही के दौरान भेजी गई सूचना/स्पष्टीकरणों के साथ पत्र दिनांक 17 नवम्बर 2009 द्वारा वीपीटी द्वारा प्रेषित संशोधित गणना पर विचार किया गया है।

(iv). दो वैगन धर्म कांटे की कुल पूंजी लागत रु0 22.42 लाख सुविचारित की गई है जिसे पत्तन द्वारा दिए गए कार्य आदेश की प्रति के साथ प्रमाणित किया गया है। वीपीटी द्वारा सुविचारित पूंजी लागत की इस विश्लेषण में गणना की गई है।

(v). पत्तन को विशेष रूप से सलाह दी गई थी कि पिछले तीन वर्षों के वास्तविक आंकड़ों के संदर्भ में प्रशुल्क की गणना में सुविचारित प्रत्येक लागत तत्व/उपरिव्यय का औचित्य बताएं। तथापि, पत्तन ने यह उद्धरित करते हुए वैगन धर्म कांटे के प्रचालन के लिए पत्तन द्वारा की गई वास्तविक लागत भेजने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी कि उपस्कर दिसम्बर 2008 से ही सेवा में लाया गया है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वैगन धर्म कांटे के प्रचालन की कुल लागत (मूल्यह्रास सहित) वीपीटी द्वारा रु0 58.44 लाख अनुमानित की गई है जोकि उक्त सुविधा की पूंजी लागत का 250 प्रतिशत होना पाया गया है। इस प्रकार, वीपीटी द्वारा अनुमानित प्रचालन लागत ज्यादा प्रतीत होती है और वीपीटी द्वारा अंगीकृत कार्यपद्धति लागत तत्वों, विशेष रूप से उपरिव्यय, को दोहराए जाने को नहीं रोकती है और प्रभाजन का तर्कसंगत आधार दिया है।

वैगन धर्म कांटे के लिए वार्षिक अनुरक्षण करार (एएमसी) संबंधी लागत संशोधित प्रस्ताव में रू0 6 लाख प्रति वैगन अनुमानित की गई है। यद्यपि एक वैगन धर्म कांटा लगभग एक वर्ष के लिए सेवा में लाया बताया गया है, परंतु पत्तन ने किसी प्रासंगिक विश्लेषण के साथ अनुमानों को प्रमाणित नहीं किया है। यह उद्धरित करते हुए कि एएमसी में पुर्जे और नवीकरण, उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण शामिल नहीं होगा, इसलिए पत्तन ने पूंजी लागत के 3.33 प्रतिशत पर मरम्मत और अनुरक्षण लागत का अनुमान लगाया है। उसके अलावा, वर्कशाप और भंडार व्यय भी बिजली लागत, मरम्मत और अनुरक्षण लागत तथा वार्षिक अनुरक्षण लागत के जोड़ के 9.69 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है। हालांकि इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि मरम्मत और अनुरक्षण व्यय अतिरिक्त उपस्कर के संदर्भ में संवर्धनात्मक लागत है, परंतु यह भी स्वीकार करना होगा कि यह सुविधा नई शुरू की गई है और इसलिए सामान्य पद्धति के रूप में यह कम से कम प्रारंभिक वर्षों के दौरान गारंटी/वारंटी के अधीन होगा।

मरम्मत और अनुरक्षण का अनुमानन और उसके अलावा वार्षिक अनुरक्षण लागत और वर्कशाप तथा भंडार व्यय पूंजी लागत का 35 प्रतिशत परिगणित होता है, जोकि औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

वीपीटी ने प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय स्टॉफ लागत के प्रतिशत रूप में अनुमान लगाया है। स्थापना को प्रदत्त सलाह के बावजूद कि यह लागत मद रेलवे वैगन धर्म कांटे के प्रचालन के लिए संवर्धनात्मक और संयोगवश है, पत्तन ने, बिना कोई विश्लेषण भेजे, केवल एक सामान्य बयान दिया है कि प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय संवर्धनात्मक लागत है। यह स्वीकार करना होगा कि उपरिव्यय व्यय सामान्यतः दी गई अवधि के लिए समग्र पत्तन के लिए तब तक स्थिर रहेगा जब तक विशेष रूप से विस्तार नहीं किया जाता है।

(vi). मार्च, 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.4.1 पत्तन प्रचालनों के प्रत्येक घटक की मानक लागत इवोल्व करने की कोशिशों के लिए है। चूंकि खंड 2.4.1 के अधीन प्रतिमानकों का पृथक और इवोल्व नहीं किए गए हैं, फरवरी 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानकों पर अनुमानों की उपयुक्तता जांचने के लिए विश्वास किया गया है। हाल ही में, तूतीकोरिन पत्तन न्यास और पारादीप पत्तन न्यास में निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा तैनात की गई हारबर मोबाइल क्रेन के किराया प्रभार के निर्धारण के लिए, 2008 के दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानक अनुमानों की उपयुक्तता जांचने के लिए उधार लिए गए हैं।

अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश सर्वोत्तम क्षमता, प्रचालन लागत आदि का निर्धारण करने के लिए विभिन्न कार्गो प्रहस्तन टर्मिनलों के लिए प्रतिमानक निर्धारित किए हैं। इस मामले में निर्धारित किया जाने वाला प्रशुल्क पृथक्कृत सुविधा के लिए है जिसके लिए 2008 के दिशानिर्देशों में कोई पृथक प्रतिमानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, यह देखा गया है कि विभिन्न कार्गो टर्मिनलों एवं कंटेनर टर्मिनलों के लिए प्रचालन लागत का अनुमान लगाने के लिए दिशानिर्देशों में प्रतिमानक निर्धारित किए गए हैं। बिजली और ईंधन के उपभोग तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए निर्धारित प्रतिमानकों के अलावा लगभग समान प्रकार के हैं। इन तीन लागत तत्वों के लिए प्रतिमानक प्रहस्तन उपस्कर की प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करते हुए निर्धारित किए गए हैं।

इसलिए, वीपीटी द्वारा भेजे गए अनुमानों की उपयुक्तता 2008 के दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानकों के आलोक में जांची जानी है।

(vii). बिजली लागत 5 इकाईयां प्रति घंटा के उपभोग का अनुमान लगाते हुए पत्तन द्वारा अनुमानित की गई है। रेल वैगन धर्म कांटे के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित किसी विशिष्ट उपभोग प्रतिमानकों के अभाव में, वीपीटी द्वारा परिकल्पित बिजली उपभोग पर विचार किया गया है। अंगीकृत इकाई दर रु0 6.20 है जो वर्ष 2009 में डील किए गए अन्य अपफ्रंट प्रशुल्क मामलों में वीपीटी द्वारा सुविचारित की गई है।

(viii). जैसाकि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में स्पष्ट किया गया है, वार्षिक अनुरक्षण लागत, मरम्मत और अनुरक्षण का अनुमानन और उसके अलावा वीपीटी द्वारा वर्कशाप और भंडार व्यय अधिक पाए गए हैं। अनुमानों को प्रमाणित नहीं किया गया है और पत्तन द्वारा किसी इम्फेरिकल विश्लेषण से औचित्य नहीं बताया गया है। मरम्मत और अनुरक्षण लागत का अनुमान लगाने के लिए 2008 के दिशानिर्देशों में निर्धारित उच्चतम प्रतिमानक उपस्कर लागत का 7 प्रतिशत है जिसपर इस विश्लेषण में विचार किया गया है।

(ix). दिशानिर्देश अन्य लागत का अनुमान लगाने के लिए प्रतिमानक निर्धारित करते हैं जिसमें स्टाफ लागत, प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय और विविध लागत शामिल है। इस मद का अनुमान लगाने के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानक कार्गो प्रहस्तन टर्मिनल के लिए परिसंपत्तियों के सकल मूल्य का 5 प्रतिशत है। अन्य व्यय का अनुमान लगाने के लिए निर्धारित उच्चतम प्रतिमानक कम क्षमता वाले कंटेनर प्रहस्तन टर्मिनल के लिए परिसंपत्तियों के सकल मूल्य का 15 प्रतिशत है। यह स्वीकार करते हुए कि रेल वैग धर्म कांटा भी सम्पूर्ण सेवा नहीं है और इससे संबंधित पूंजी आधार भी कम है, इसलिए अन्य व्यय का अनुमान लगाने के लिए 2008 के दिशानिर्देशों में उपलब्ध उच्चतम प्रतिमानक पर इस विश्लेषण में विचार किया गया है। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय और स्टाफ लागत भी जिसका इकाई दर का निर्धारण करने के लिए वीपीटी द्वारा अलग–से अनुमान लगाया गया है, पत्तन के दरमान के पिछले सामान्य संशोधन में सुविचारित कुल लागत में लिए गए हैं। तथापि, चूंकि यह कार्यवाही यहां रेल वैगन के भारतोलन से संबंधित विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए इकाई दर निर्धारित करने के लिए है, इसलिए यह जरूरी है कि इन लागत तत्वों को लिया जाए, अन्यथा यह सेवा अन्य गतिविधियों द्वारा प्रति–सहायिकी की जा सकती है।

(x). 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.7.1 महापत्तनों से अपेक्षा करता है कि कम्पनी अधिनियम के अनुसार अंगीकृत प्रतिमानकों का अनुसरण करते हुए स्ट्रेट लाइन पद्धति पर मूल्यह्रास परिकलित करें। मूल्यह्रास का अनुमान लगाने के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश भी कम्पनी अधिनियम का अनुसरण करने की अपेक्षा करते हैं। पत्तन ने 1998 में (तत्कालीन) भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्धारित जीवनकाल प्रतिमानकों के आधार पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर 10 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास परिकलित किया है। यह उल्लेखनीय है कि वीपीटी को मई 2006 में किए गए पिछले सामान्य संशोधन के दौरान पहले ही सलाह दी गई थी कि अपना अगला प्रशुल्क समीक्षा/संशोधन प्रस्ताव तैयार

करते समय मूल्यह्रास परिकलित करने के लिए संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। तथापि, वीपीटी ने वर्तमान प्रस्ताव तैयार करते समय भी इस सलाह का पालन नहीं किया है। पत्तन द्वारा तैनात किए गए उपस्कर के लिए कम्पनी अधिनियम के अनुसार लागू मूल्यह्रास दर 13.91 प्रतिशत है जिसपर इस गणना में विचार किया गया है। वीपीटी को एक बार दोबारा सलाह दी जाती है कि अपने प्रशुल्क प्रस्ताव तैयार करते समय मूल्यह्रास परिकलित करने के लिए संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों का पालन करें।

(xi). वीपीटी ने प्रस्तावित किराया प्रभारों पर पहुंचने के लिए अपनी गणना में बीमा लागत को विशेष रूप से शामिल नहीं किया है। अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश परिसंपत्तियों के मूल्य के 1 प्रतिशत पर बीमा प्रीमियम लागत का अनुमान लगाने के लिए प्रतिमानक निर्धारित करते हैं।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि मई 2006 में पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान, पत्तन ने बीमा लागत का अनुमान लगाया था ताकि मंत्रालय द्वारा दी गई विशिष्ट सलाह के मद्देनजर पत्तन परिसंपत्तियों/उपस्कर को उपयुक्ततः कवर किया जा सके। वीपीटी द्वारा उस समय अनुमानित बीमा लागत स्वीकार की गई थी। तथापि, वीपीटी के वर्ष 2007–08 और 2008–09 के वार्षिक लेखों की जांच करने पर पत्तन द्वारा खर्च की गई बीमा लागत बहुत कम पाई गई है और परिसंपत्तियों के निवल मूल्य की तुलना में अवास्तविक है जो दर्शाता है कि पत्तन द्वारा वर्तमान में लिया गया बीमा कवर में सभी पत्तन परिसंपत्तियों/उपस्कर कवर नहीं हैं। यह संबद्ध पक्षों से सीधे नुकसानों की लागत वसूल करने की वीपीटी पद्धति के कारण हो सकता है। उपर्युक्त स्थिति के आलोक में, रेलवे वैगन धर्म कांटे के लिए लागत गणना में बीमा लागत पर विचार नहीं किया गया है।

(xii). 2008 के दिशानिर्देश तत्संबंधी महापत्तनों के दरमान में निर्धारित दरों के आधार पर लाइसेंस शुल्क के अनुमानन की इजाजत देते हैं। वीपीटी ने इस शीर्ष के अधीन किसी व्यय का अनुमान नहीं लगाया है।

(xiii). पत्तन ने उपस्कर लागत के 16 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई) पर विचार किया है। हालांकि अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश सकल मूल्य पर प्रतिलाभ की अनुमति देते हैं, परंतु यह वीपीटी के मामले में लागू नहीं है। आरओसीई 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड सं. 2.9.1 और 2.9.2 के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। अतः आरओसीई तीन वर्षों की अवधि के लिए परिसंपत्तियों के ह्रासित मूल्य के औसत पर परिगणित किया गया है जिसके लिए प्रशुल्क निर्धारित किया जाना है।

(xiv). अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश बृहत् प्रहस्तन सुविधाएं ऑफर करने के लिए किसी टर्मिनल की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिमानक निर्धारित करते है। दिशानिर्देशों में रेल वैगन धर्म कांटे की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रतिमानक उपलब्ध नहीं है। पत्तन ने दो रेल वैगन धर्म कांटों की क्षमता 172880 वैगन मूल्यांकित की है। 2008 के दिशानिर्देशों में किन्हीं प्रतिमानकों के उपलब्ध नहीं होने के कारण, यह प्राधिकरण वीपीटी द्वारा मूल्यांकित वैगन धर्म कांटे की क्षमता पर विश्वास करता है। संयोगवश, किसी भी उपयोक्ता ने वीपीटी द्वारा लागू किए गए इस तत्व पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है।

(xv). उपर्युक्त के अधीन, 100 टन क्षमता का वैगन धर्म कांटा इस्तेमाल करने के लिए वीपीटी द्वारा भेजी गई गणना संशोधित की गई है। संशोधित गणना पत्रक **अनुबंध–I** रूप में संलग्न किया गया है। वैगन प्रचालित करने की कुल लागत और निवेश पर प्रतिलाभ पत्तन द्वारा अनुमानित रु0 62.03 लाख के विपरीत रु0 16.07 लाख का अनुमान लगाया गया है। संशोधित गणना के अनुसार, इकाई लागत और प्रतिलाभ रु0 9.33 प्रति 8 व्हीलर वैगन परिगणित किया गया है जिसे पूर्णांकित किया गया है और रु0 10/– प्रति 8 व्हीलर वैगर पर अनुमोदित किया गया है।

(xvi). रु0 36 प्रति वैगन की दर निर्धारित करने के लिए वीपीटी के प्रस्ताव पर प्रासंगिक स्टेक होल्डरों से विचार–विमर्श किया गया था और इस मामले में की गई संयुक्त सुनवाई रु0 36 प्रति टन की प्रस्तावित दर पर स्टेक होल्डरों के मत जानने के लिए थी। यह उल्लेखनीय है कि सामान्यतः उपयोक्ताओं ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को छोड़कर, उक्त दर का समर्थन किया है। सेल को सलाह दी गई थी कि अपनी टिप्पणी के समर्थन में पत्तन द्वारा प्रस्तुत किए गए लागत विश्लेषण पर अपनी टिप्पणियां भेजें। हालांकि अवसर प्रदान किए जाने पर, सेल ने यह दर्शाने के लिए कोई औचित्य अथवा लागत विश्लेषण नहीं भेजा है कि पत्तन द्वारा प्रस्तावित दर ज्यादा है। सेल ने एक सामान्य टिप्पणी की है कि प्रस्तावित दर बहुत ज्यादा है और वास्तव में उसने अनुरोध किया है कि पत्तन को यह सेवा निःशुल्क अथवा मामूली दर वसूल करते हुए ऑफर करनी चाहिए।

(xvii). 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.17.4 इस प्राधिकरण को अधिकार देता है कि तदर्थ रूप में अंगीकृत अंतरिम दर को पूर्वव्यापी प्रभाव से मान्यता दी जाए। तदर्थ आधार पर रु0 36/– प्रति टन की दर कार्यान्वित करने के लिए वीपीटी का उपाय अनुमोदित किया गया है, वैसे एक उपयोक्ता अर्थात सेल के अलावा सभी उपयोक्ता प्रस्तावित दर से सामान्यतः सहमत हैं। वीपीटी में 100 टन क्षमता के वैगन धर्म कांटे द्वारा भारतोलन की सेवा ऑफर करने की शुरूआत

की तारीख से तदर्थ दर की वसूली इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित संशोधित दर के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक जारी रखने की अनुमति दी गई है।

10.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण निम्नलिखित अनुमोदित करता है:–

(i). 100 टन क्षमता के बिना पिट के चालित धर्म कांटे के इस्तेमाल के लिए प्रभार रु0 10/– प्रति 8 व्हीलर वैगन।

(ii). चूंकि तदर्थ दर पहले से प्रचालन में है, इसलिए अनुमोदित दर भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी होगी और 3 वर्षों के लिए वैध रहेगी।

10.2. वीपीटी को निदेश दिया जाता है कि इस अनुमोदित दर को अपने दरमान में शामिल करें।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

अनुबंध - I

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास में 100 टन क्षमता के पिट–रहित चालित वैगन धर्म कांटे के लिए दर निर्धारित करने हेतु लागत गणना

(रु0 में)

क्र.सं.	विवरण	वीपीटी द्वारा प्रेषित	हमारे द्वारा संशोधित अनुमान
I	2 चालित वैगन धर्म कांटे की पूंजी लागत	2242600	2242600
II	परिवर्तनीय लागत		
(i)	बिजली लागत (5 इकाई प्रति घंटा * 24 घंटे * 365 दिन* रु0 6.20 प्रति इकाई * 2 धर्म कांटे)	543120	543120
(ii)	मरम्मत और नवीकरण – पूंजी लागत के 3.33 प्रतिशत की दर से (हमारे विश्लेषण में पूंजी लागत के 7 प्रतिशत पर सुविचारित किया है)	74679	
(iii)	वार्षिक अनुरक्षण लागत	600000	156982
(iv)	वर्कशाप और भंडार व्यय [वीपीटी द्वारा (i) + (ii)+ (iii) के 9.69% पर अनुमानित]	118005	
(v)	स्टॉफ लागत	3459547	
(vi)	प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय [वीपीटी द्वारा (iv) के 23.85% पर अनुमानित] (हमारे अनुमान में अन्य व्यय पूंजी लागत के 15 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है जिसमें स्टॉफ लागत और उपरिव्यय शामिल होंगे)	825102	336390
	कुल परिवर्तनीय लागत	**5620453**	**1036492**
III	मूल्यह्रास (वीपीटी ने उपस्कर का जीवनकाल 10 वर्ष मानते हुए 10 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास पर विचार किया है)। [कम्पनी अधिनियम में निर्धारित दर के आधार पर हमारी गणना में मूल्यह्रास 13.91 प्रतिशत परिकल्पित किया गया है]	**224260**	**311946**
IV	पूंजी लागत के 16 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (हमारी गणना में पूंजी लागत के औसत ह्रासित मूल्य पर स्वीकृत 16 प्रतिशत प्रतिलाभ तीन वर्षों अर्थात रु0 1618709 *16% के लिए है)	358816	258993
V	**कुल लागत (II + III+IV)**	**6203529**	**1607431**
VI	वीपीटी द्वारा यथा प्रेषित 2 वैगन धर्म कांटों द्वारा प्रहस्तित किए जाने की संभावना वाले वैगनों की सं. (8 रैक * 59 वैगन प्रति रैक * 365 दिन)	172280	172280
VII	**प्रति वैगन भारतोलन के लिए प्रभार (रु0 में) (V/VI)**	**36.01**	**9.33**

100 टन क्षमता के धर्म कांटे (2 सं.) की पूंजी लागत — रु0 **2242600**

कम्पनी अधिनियम के अनुसार अंगीकृत मूल्यह्रास दर — **13.91%**

	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
वर्ष के प्रारंभ में वैगन धर्म कांटे का मूल्य	2242600	1930654	1618709
मूल्यह्रास	311946	311946	311946
वर्ष के अंत में ह्रासित मूल्य	1930654	1618709	1306763
औसत ह्रासित मूल्य		1618709	